न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

...म संख्या 54/2025

बउनवान

सरकार जर्ये संतोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री अंकित मेघवाल पुत्र श्री मदनलाल, योगेन्द्र पुत्र श्री मोतीलाल निवासी बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 25.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक उपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह रविन्द्र मील, प्रवर्तन निरीक्षक, धीरज कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक चारमूर्ति सर्किल के पास बारां स्थित कस्तूरी भोजनालय पर पहुंचे मौके पर श्री अंकित मेघवाल पुत्र श्री मदनलाल, योगेन्द्र पुत्र मोतीलाल निवासी बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर 1 गैस सिलेण्डर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स बारां गैस सर्विस बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि दिनांक 16/10/2024 को मैं कस्तूरी भोजनालय चारमूर्ति चौराहा बारां मे उपस्थित नही था। मैं उक्त भोजनालय का संचालक एंव मालिक हूँ और मैं दिनांक 16/10/2024 को आवश्यक कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। मेरे भोजनालय पर चार कर्मचारी कार्यरत है। मैं उक्त भोजनालय पर व्यावसायिक सिलेण्डर ही इस्तेमाल करता हूँ। जिसकी डायरी कस्तूरी भोजनालय के नाम से उपभोक्ता क्रमांक 900196 बनी हुई है जो बारां एचपी गैस सर्विस द्वारा जारी की हुई है। उक्त भोजनालय में कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरो का उपयोग नही करता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में दिनांक 16/10/2024 को मेरे अधीन कर्मचारी अंकित मेघवाल ने भूलवश घरेलू गैस सिलेण्डर लगा रखा था। मेरे अधीन कर्मचारी को कानूनी जानकारी न होने के कारण उक्त गलती सहवन से होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य है। मेरे अधीन कर्मचारी अंकित मेघवाल को मैने उक्त कस्तूरी भोजनालय से भी हटा दिया है। भविष्य मे इस प्रकार की गलती नही होगी। यह जो गलती हुई है उसे क्षमा करें तथा जप्त किया हुआ घरेलू सिलेण्डर मुझ प्रार्थी को सुपुर्दगी मे दिये जाने के आदेश प्रदान करने के साथ मेरे विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को ड्राप किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.16 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारॉं (राज०)

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रकण बहस हेतु नियत किया गया।

दौराने बहस अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 1 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में स्वंय घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 182483T, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स बारां गैस सर्विस बारां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.16 11:07:12 IST
Reason: SelfAttested